बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

सं0सं0- स0क0निग0-276/2024 3513/श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर सम्प्रति गोपालगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक- 01-2374/स्था0 दिनांक- 01/12/2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय निदेश के विरूद्ध टेक होम राशन का वितरण कराना, जिला/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाना, जिला स्तरीय आई0सी0डी0एस0 निदेशालय की समीक्षात्मक बैठक में वरीय पदाधिकारी के आदेशों का अनुपालन नहीं करना आदि आरोप प्रतिवेदित किया गया। जिसके समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त आरोप पत्र तदनुरूप पुर्नगठित आरोप पत्र के आलोक में श्रीमती सिंह से लिखित अभिकथन की माँग करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-4652, दिनांक-10.06.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(4) के प्रावधानों के तहत श्रीमती कुमारी से लिखित अभिकधन की माँग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-2004, दिनांक-09.12.2025 द्वारा लिखित अभिकधन विभाग को उपलब्ध कराया गया। लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का अभाव, अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना एवं कर्तव्य दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर सम्प्रति गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06/07/26

(मार्गण सिन्हा),
उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- स0क0निग0-276/2024 3513 पटना-15 दिनांक- 6.7.2026

प्रतिलिपिः- ई गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

06/07/26

उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- स0क0निग0-276/2024 3513 पटना-15 दिनांक- 6.7.2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना एवं सारण / निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं गोपालगंज / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर एवं गोपालगंज / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव, (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती रंजना कुमारी, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बक्सर सम्प्रति गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/07/26

उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग।